संख्या–236/16–नि0अनु0/2003

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य योजना आयोग/
नियोजन निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।

देहरादूनः दिनांकः15 जुलाई, 2003

विषयः– वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक संख्या–3451–के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–2004/वि0अनु0–1/2003 दिनांक 30 जून, 2003 एवं शासनादेश संख्या–88/नि0 अनु0/बजट–16/नि0वि0/2003 दिनांक 2 अप्रैल, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष–2003–04 के लिए अनुदान–07 के लेखाशीर्षक–3451–के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार बचनबद्ध मदों यथा वेतन, मजदूरी, महँगाई भत्ता, अन्य भत्ते, टेलीफोन, जलकर, विद्युत देय, पेट्रोल, पेन्शन, औषधि, भोजन व्यय तथा अन्य आवश्यक मदों हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत (लेखानुदान 01 अप्रैल 2003 से 30 जून, 2003 के अन्तर्गत निर्गत धनराशि को सम्मिलित करते हुए) चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए संलग्न विवरण में उल्लिखित मानक मदों के सम्मुख अंकित कुल धनराशि रूपये 75.80 लाख (रूपये पिचहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) को आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2003–04 की नई मदो के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4– संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5– अबचनबद्ध मदें अथवा समस्त चालू निर्माण कार्य, उपकरण एवं संयत्र का कय तथा वाहन आदि के कय की स्वीकृति पर शासन की सहमति नितान्त आवश्यक है।

6– अनुदान के अन्तर्गत होन वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में एकमुश्त स्वीकृतियां जारी करने के पूर्व बजट मनुअल के पैरा–94 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा। यदि इसे पूरा नहीं किया जायेगा तो वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

7– यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

8– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें– 092–अन्य कार्यालय– 03– नियोजन अधिष्ठान की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

14/07

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्या–236(1)/16–नि0अनु0/2003,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

11.07.2003

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

C:\Negi\Bugdet03-04

शासनादेश संख्या–236 / 16–वि0अनु0 / 2003 दिनांक: 15 जुलाई, 2003 का संलग्नक।

	(धनराशि हजार रूपये में) आयोजनेत्तर
3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें	
092–अन्य कार्यालय	
03–नियोजन अधिष्ठान	
01–वेतन	3000
02–मजदूरी	60
03–महँगाई भत्ता	1740
04–यात्रा व्यय	200
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100
06–अन्य भत्ते	330
08–कार्यालय व्यय	500
09–विद्युत देय	100
10–जलकर / जलप्रभार	50
11–लेखन सामग्री / फार्मों की छपाई	200
13–टेलीफोन पर व्यय	400
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	400
17–किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	400
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी क्रय	100
योग– (रूपये पिचहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र)	7580

11.07.2003

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

C:\Negi\Bugdet03-04